

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1144/दो-6-2018-53(20)/2003
लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 18-10-2017 से 06-05-2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 06 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-2,169.45 अर्थात् कुल रू0-2,169/- (रूपये दो हजार एक सौ उनहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1144(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्रीमती डिम्पल वर्मा, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, वाहय सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1136 /दो-6-2018-53(12)/2014
लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री भुवनेश कुमार, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 09.10.2017 से 05.06.2018 के मध्य स्वयं तथा उनकी पत्नी के उपचारार्थ 18 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-4,553/- (रूपये चार हजार पाँच सौ तिरपन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री भुवनेश कुमार, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।


संख्या-1136(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री भुवनेश कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,


(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1141/दो-6-2018-53(22)/96
लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 05.06.2018 को स्वयं तथा परिवार के उपचारार्थ 01 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-585.70 अर्थात् कुल रू0-586/- (रूपये पाँच सौ छियासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1141(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, भाषा सामान्य प्रशासन एवं पुनर्गठन समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1145/दो-6-2018-53(18)/2000
लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 20.05.2018 से 13.06.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 04 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-855.09 अर्थात कुल रू0-855/- (रूपये आठ सौ पचपन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1145(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।